

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2025

अपीलार्थी-

बनाम

उत्तरदाता-

1. अर्जुनदान पुत्र तगदान
 2. नखतदान पुत्र तगदान
 3. हिंगजालदान पुत्र तगदान जाति
चारण निवासी चितरोली
(बुढातला) तहसील शिव व
जिला बाड़मेर
1. तहसीलदार शिव
 2. उप तहसीलदार भीयाड़

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 12.12.2024 जो प्रकरण सं. 181/2024 मे उप तहसीलदार भीयाड़ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री भगवानदास गोयल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.02.2026

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप तहसीलदार भीयाड़ द्वारा प्रकरण सं. 181/2024 सरकार बनाम अर्जुनदान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2024 के विरुद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का चोचरा द्वारा उप तहसीलदार भीयाड़ के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बुढातला के खसरा नम्बर 1416/1403, 1140/341 रकबा 22-12 बीघा किस्म में से 1-23 बीघा पर गैर सायल अर्जुनदान व अन्य द्वारा गैर मुमकीन राजभवन एवं कार्यालय एवं गैर मुमकीन रास्ता राजकीय भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उप तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, के तहत दर्ज कर गैर सायल को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल अधिवक्ता दौरान सुनवाई उपस्थित नहीं हुए इस पर उपतहसीलदार



जिला कलक्टर
बाड़मेर

भीयाड़ द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक 12.12.2024 के द्वारा 12/- रुपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने दिनांक 13.01.2025 को यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये समन तलब किया।
4. अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौजा बुढातला के खसरा नम्बर 1416/1403, 1140/341 रकबा 22-12 बीघा किस्म गैर मुमकीन राजभवन एवं कार्यालय एवं गैर मुमकीन रास्ता में से 1-23 बीघा पर नाजायज काश्त अरण्डी बोकर जो फसल लेने का उल्लेख करते हुए अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्रार्थीगण के विरुद्ध 91 एक्ट के तहत कार्यवाही रिपोर्ट पेश की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर विप्रार्थीगण के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। लेकिन सवार के द्वारा यह कहा गया कि आप अपीलांट द्वारा एक सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में जो वाद पेश किया है उसके संबंध में नोटिस आपको दिये जा रहे हैं जो नोटिस दिये गये हैं वह सवार ने पढकर भी नहीं सुनाये तथा तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट तहसीलदार भीयाड़ के समक्ष पेश कर दी। अपीलांट का इस भूमि पर पिछले लम्बे अर्से से कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि अपीलांट का खातेदारी खेत पास आया हुआ है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान करने हेतु दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया तथा उसके रुपये 400/- ई-चालान के तहत जमा भी करवाये गये लेकिन उस और कोई ध्यान न देकर आनन-फानन में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। जो कि पूर्णतया विधि विरुद्ध है। जो निरस्त योग्य हैं।
5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पों. द्वारा ग्राम बुढातला के गै0मु0 गोचर भूमि, गै0मु0 रास्ते की भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण कब्जा/काश्त होना प्रकट किया है जबकि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकीन गोचर एवं गैर मुमकीन रास्ते हेतु दर्ज हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट को नोटिस व समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है जिस पर अपीलांट अनुपस्थित रहा है। इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अपीलांट का कथन है कि उनका विवादित भूमि पर पुराना कब्जा है लेकिन भूमि गै.मु गोचर एवं रास्ता




जिला कलक्टर
बाडमेर

होने से अपीलांट को किसी प्रकार का हक-अधिकार नहीं है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ऐसे में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें हमारे मत से किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नहीं की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भीयाड़ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.12.2024 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। तहसीलदार शिव एवं उप तहसीलदार भीयाड़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय का क्रियान्वयन कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावे।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाडमेर
जिला कलक्टर
बाडमेर